कार्यालय उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, उदयपुर

क्रमांक : स्था./उ.म.नि./प्रहरी भर्ती–2018/2019–20/2156-2190 दिनांक :– 30-5-2019

–:आदेश:–

राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम– 1998 के नियम 32 के अन्तर्गत प्रहरी भर्ती परीक्षा–2018 में टी.एस.पी. मण्डल हेतु गठित चयन समिति द्वारा निम्नांकित आशार्थियों को प्रहरी पद पर टी.एस.पी. मण्डल से चयन किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित शर्तों के अधीन राजस्थान कारागार विभाग में कार्यभार सम्भालने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं।

नवनियुक्त आशार्थी दिनांक 10.06.2019 को प्रातः 10.00 बजे आवश्यक रूप से उपमहानिरीक्षक कारागार रेंज कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित होवें। साथ ही आदेश के साथ संलग्न दिशा निर्देशानुसार वर्णित दस्तावेज/सामग्री साथ लेकर आवें।

S.N.	Roll Number	Name	Father Name	Cat.	Merit in cat.	DOB	Candidate Photo
1	20020705000022	KANTI LAL MEENA	KUBER JI MEENA	ST	ST-MALE 3	05-10-1995	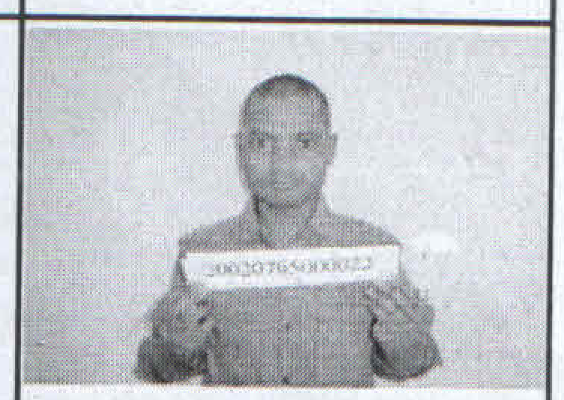
2	20020705000226	MUKESH AHARI	NATHULAL AHARI	ST	ST-MALE 7	15-12-1995	
3	20020705000259	MANOJ KUMAR DAMOR	GATU LAL	ST	ST-MALE 11	13-10-1993	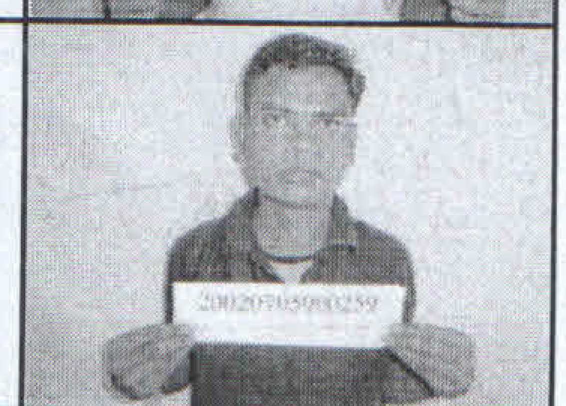
4	20020705000262	ANIL BAWRI	NANURAM BAWRI	SC	SC-MALE 2	15-12-1996	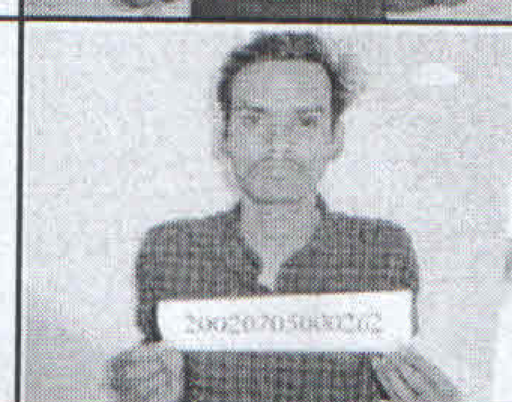
5	20020707000007	KAMLESH KUMAR PARGI	GENDAL PARGI	ST	ST-MALE 4	15-08-1997	
6	20020707000150	BHIMRAJ MEEMA	SHANKAR LAL MEENA	ST	ST-MALE 10	24-06-1991	
7	20020707000185	ASHOK KUMAR MEENA	AMRA MEENA	ST	ST-MALE 6	15-02-1992	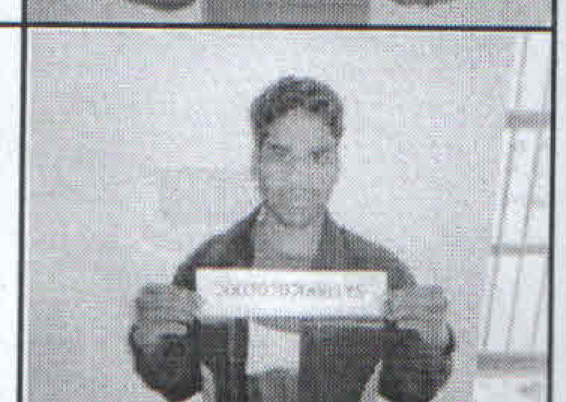
8	20020707000224	FATEH SINGH BHURIYA	BADIYA BHURIYA	ST	ST-MALE 5	05-03-1992	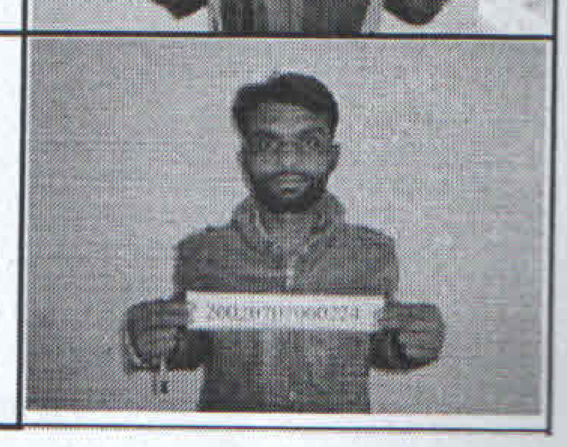

9	20020707000275	PRAKASH CHANDRA NINAMA	SHANKAR LAL NINAMA	ST	ST-MALE 12	07-03-1991	
10	20020707000300	NITIRAJ SINGH CHOUHAN	PRAVIN SINGH CHOUHAN	UR	UR-MALE 2	08-05-1996	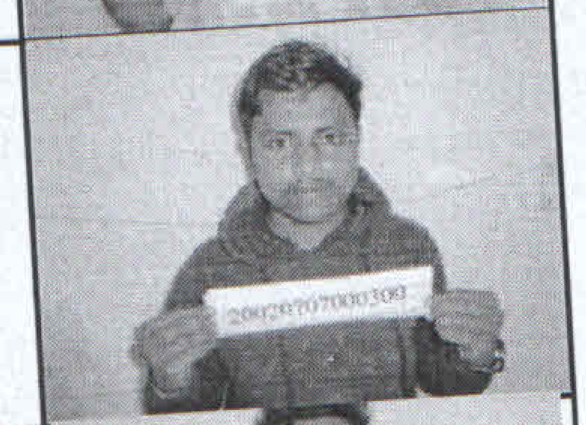
11	20020707000329	DILEEP KUMAR MEENA	ROOP LAL MEENA	ST	ST-MALE 9	10-10-1992	
12	20020707000351	BHARAT LAL SALVI	BHERU LAL SALVI	SC	SC-MALE 3	28-09-1992	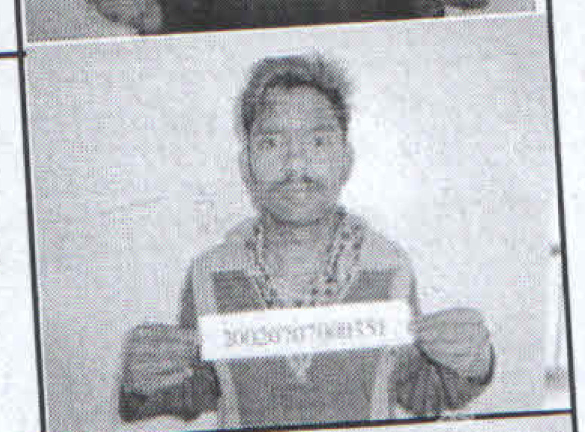
13	20020707000461	ANIL KUMAR MAIDA	KARAM CHAND	ST	ST-MALE 15	03-08-1994	
14	20020707000490	BHOLESHWAR NAYAK	HEMRAJ NAYAK	MBC	UR-MALE 1	02-07-1996	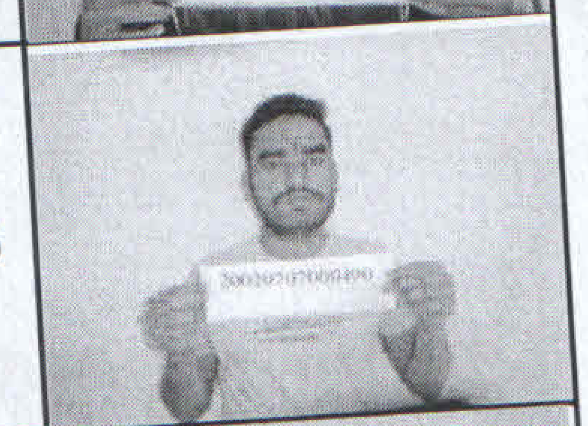
15	20020707000627	ISHWAR LAL MEENA	BABAR MAL MEENA	ST	ST-MALE 16	12-04-1998	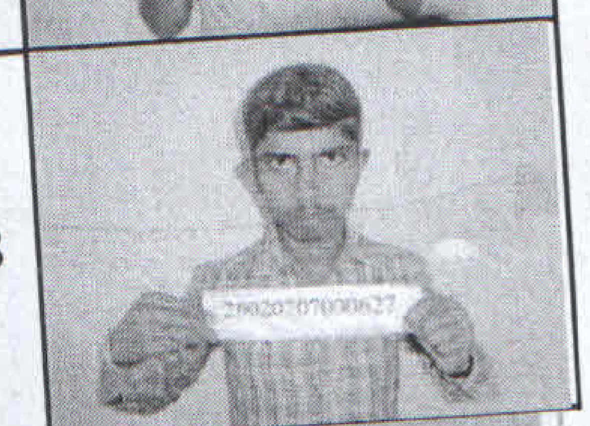
16	20020707000717	KARAN DAMOR	ROOPA DAMOR	ST	ST-MALE 14	21-10-1993	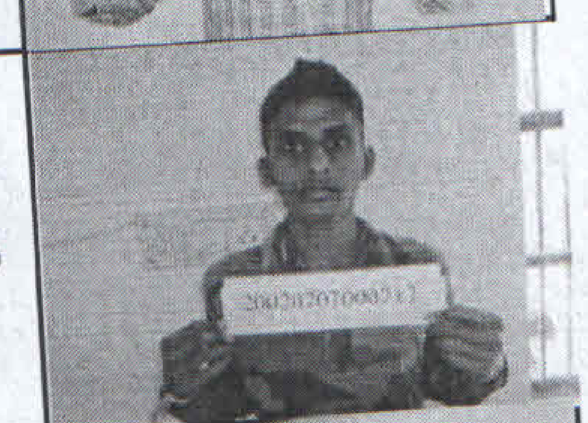
17	20020707000758	GAJA RAM	PUNA RAM	ST	ST-MALE 1	25-06-1992	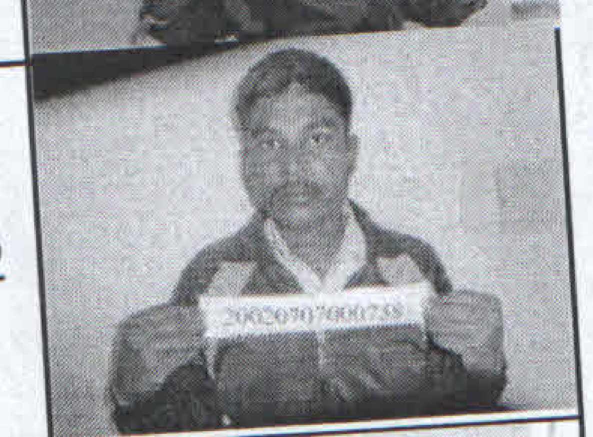
18	20020707000888	SURAJMAL MEENA	MANGAN LAL MEENA	ST	ST-MALE 8	02-03-1990	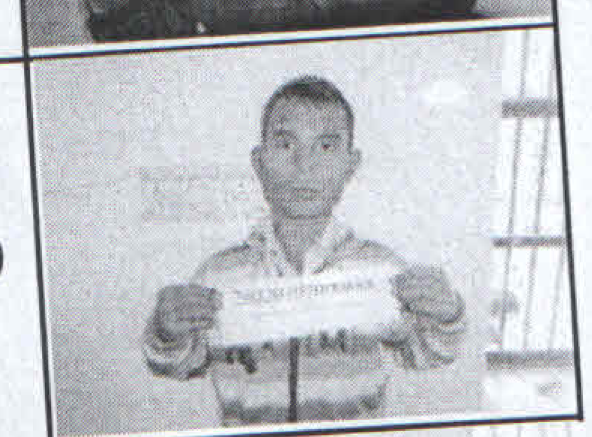
19	20020707000932	MOHAN SINGH RATHOR	DHUL SINGH RATHOR	UR	EX-MAN 1	25-12-1980	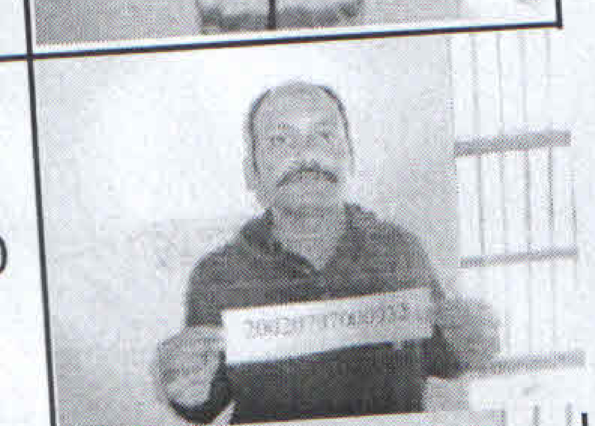
20	20020708000003	RAKESH AHARY	MANGEE LAL AHARY	ST	ST-MALE 13	20-07-1993	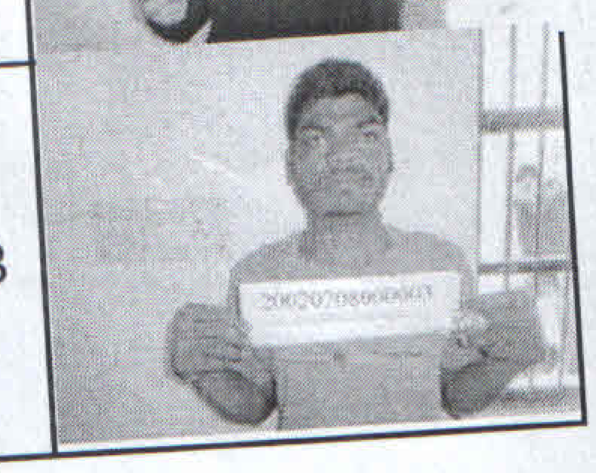

21	20020709000152	NATHU LAL MEGHWAL	CHUNNI LAL MEGHWAL	SC	SC-MALE 1	08-12-1989	
22	20020710000011	RATAN KUMARI MEENA	MOHAN LAL MEENA	ST	UR-FEMALE 1	18-12-1994	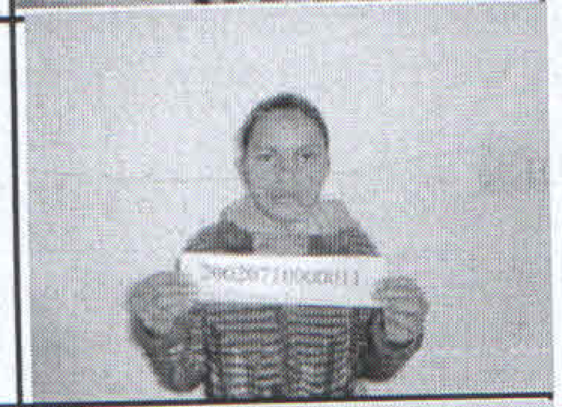
23	20020710000042	RAMILA MEENA	NAKU RAM	ST	ST-FEMALE 1	10-10-1993	

1 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ–डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधानों के तहत रूपये 12800/– प्रतिमाह की दर से नियमित पारिश्रमिक देय होगा एवं परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही प्रहरी पद का पे मेट्रिक्स के लेवल– L-3 में न्यूनतम वेतन अनुज्ञात किया जायेगा। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम् गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।

2 पूर्व से ही नियोजित अभ्यर्थी वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1) एफ.डी./ रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधान के अन्तर्गत पूर्व में आहरित वेतन का विकल्प प्रस्तुत कर सकते है।

3 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की कालावधि में किसी प्रकार के अन्य भत्ते अनुज्ञात नहीं होगें एवं राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि आदि की कटौती नियमानुसार नहीं होगी।

4 वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.03.2006 के प्रावधान के तहत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के द्वारा परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने के उपरान्त भी परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि की वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जावेगी।

5 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा । कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा । पूर्ण कलैण्ड़र वर्ष में कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश देय होगा।

6 दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर नियमानुसार पद पर स्थाईकरण किया जावेगा। प्रशिक्षण एवं स्थाईकरण के संबंध में प्रचलित नियम, परिपत्र इत्यादि लागू होंगे।

7 वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में नियत पारिश्रमिक से न्यू पेंशन स्कीम (एन.पी.एस.) में अंशदान की नियमानुसार कटौती होगी।

8 वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार मेडीक्लेम इंशोरेन्स योजना प्रभावी होगी।

9 कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डी.ओ.पी./ए–II/95 दिनांक 08.04.2006 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के संबंध में कार्य ग्रहण करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात् उत्पन्न संतानों की संख्या दो से अधिक होगी तो नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

10 अभ्यर्थी को राजस्थान दहेज प्रतिशोध अधिनियम, 2004 के अनुसार विवाहित होने पर उपस्थिति देने के समय तथा अविवाहित होने पर विवाह के पश्चात निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने कोई दहेज नहीं लिया है।

11 अभ्यर्थी को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.13 की पालना में धुम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने की वचन बद्धता (UNDERTAKING) देनी होगी।

12 आशार्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति से एक वर्ष की अवधि में राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा से त्याग पत्र देना चाहेंगें, अन्य पद ग्रहण करना चाहेंगें तो ऐसा करने से पूर्व उन्हें प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त समस्त वेतन एवं भत्ते व उनके प्रशिक्षण पर हुये व्यय की राशि एक मुश्त राजकोष में जमा करानी होंगीं। अभ्यर्थी को इस संबंध में विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करना होगा।

13 यह नियुक्ति राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियमों, आदेशों व शर्तो के अध्यधीन है।

14 आशार्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थिति देने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।

15 यह कि अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 10.06.2019 को उपस्थिति प्रदान नहीं की जाती है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावें।

(सुरेन्द्र सिंह)
उपमहानिरीक्षक कारागार
उदयपुर–कोटा–अजमेर रेंज
उदयपुर

प्रतिलिपिः– निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1 उप शासन सचिव, गृह (ग्रुप–12) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2 महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
3 वित्तीय सलाहकार, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
4 प्रशिक्षण नोड़ल अधिकारी महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
5 प्रशिक्षण नोडल अधिकारी सी.आई.एस.एफ प्रशिक्षण केन्द्र देवली टोंक।
6 मण्डलाधिकारी एवं अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह उदयपुर/कोटा/अजमेर।
7 प्रभारी संबंधित कारागृह।
8 श्री/सुश्री/श्रीमती .... को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित तिथि को यथा समय पर अपनी उपस्थिति उपमहानिरीक्षक कारागार रेंज के समक्ष देवें। (ज्वाइनिंग निर्देश संलग्न है)
9 संबंधित की निजी पत्रावली /रक्षक पत्रावली।

(सुरेन्द्र सिंह)
उपमहानिरीक्षक कारागार
उदयपुर–कोटा–अजमेर रेंज
उदयपुर

(परिशिष्ट-अ)

प्रहरी भर्ती 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को प्रहरी पद पर उपस्थित होने के संबंध में ज्वॉईनिंग निर्देश

1. चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र में अंकित उपमहानिरीक्षक कार्यालय में निर्धारित तिथि दिनांक 10.06.2019 को उपस्थित होवे।
2. उपस्थित होते समय निम्नांकित मूल दस्तावेज (यदि पूर्व में जमा नहीं करवाए गए हो) तो अपने साथ लावें । इसके अभाव में नियुक्ति पर उपस्थिति मान्य नहीं होगी।
   - आयु प्रमाण पत्र । (सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र)
   - जाति प्रमाण पत्र । (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग)
   - शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र व अंकतालिका ।
   - मूल निवास प्रमाण पत्र ।
   - यदि पूर्व मे कहीं कार्यरत है तो पूर्व नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र ।
   - भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ।
   - बन्ध पत्र (Bond) पचास रूपये के INDIAN-NON-JUDICIAL स्टाम्प पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा ।
   - यदि विवाहित है तो दिनांक 01.02.2002 को एवं उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के संबंध में शपथ पत्र ।
   - विवाहित के द्वारा उनके "विवाह के समय दहेज नहीं लिया गया है" और अविवाहित है,तो उनके द्वारा "विवाह में दहेज नही लूँगा" का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा ।
   - धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने की वचन बद्धता शपथ पत्र ।
   - 6 पासपोर्ट साईज फोटो ।
3. प्रशिक्षण के लिए C.I.S.F. प्रशिक्षण केन्द्र देवली (टोंक) पर उपस्थित होते समय चयनित अभ्यर्थी अपने साथ अग्रिम मैस फण्ड राशि जमा करवाने हेतु लगभग 3,000 रूपये प्रतिमाह एवं निजी व्यय के लिए आवश्यक राशि साथ में लेकर तथा एवं निजी उपयोग के वस्त्र, रोजमर्रा में काम आने वाले सामान एवं बिस्तर आदि लेकर आए ।
4. दूरभाष नम्बर

कार्यालय का नाम	कन्ट्रोल रूम	प्रशिक्षण नोडल अधिकारी मोबाईल नम्बर
महानिदेशालय कारागार,जयपुर	0141 2616448, 2619202	श्री विक्रम सिंह कर्णावत, IG II 08239782811, 08619274900
C.I.S.F. प्रशिक्षण केन्द्र देवली (टोंक)	01434 232040	श्री नवीन कुमार, DC 09862633907

Scanned by CamScanner

अनुबंध-पत्र

मै .... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... आयु .... वर्ष, जाति .... निवासी- .... मै शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरा प्रहरी पद पर परिवीक्षा प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यालय उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, ... के आदेश दिनांक .... के आदेशानुसार चयन हुआ है।

मेरी प्रहरी पद पर उपस्थिति दिनांक से दो वर्ष की अवधि में राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा से त्याग पत्र देना चाहूंगा या अन्य पद ग्रहण करना चाहूंगा तो ऐसा करने से पूर्व मुझे प्रशिक्षण अवधि में मेरे द्वारा प्राप्त समस्त वेतन व भत्ते एवं प्रशिक्षण पर हुए व्यय की राशि एक मुश्त राजकोष में जमा करवा दूंगा/दूंगी।

स्थान:

दिनांक:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मै उपरोक्त बन्ध पत्र निष्पादनकर्ता सत्यापित करता हूँ कि उक्त बन्ध पत्र की समस्त बातें मेरी निजी जानकारी में सही व सत्य है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अनुप्रमाणित

श्री.............................. पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... आयु .... वर्ष, जाति............निवासी-........................... को अनुप्रमाणित करता हूँ।

हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक